न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 203/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/279

निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. गोमदराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी सोनियासर मिठिया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) —अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 345/131 तादादी 2.87 हैक्टेयर रोही सोनियासर मिठिया व खसरा नम्बर 525/351 तादादी 1.5100 हैक्टेयर रोही सोनियासर ऊँचाईड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खेतों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी सोनियासर मिठिया दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावे यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान—पत्र, जन—आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम गोमदराम पुत्र गिरधारीराम अंकित है। उपर्युक्त वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अलावा प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम गोमदराम है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज से भिन्न होने से प्रार्थी का किसी भी बैंक या ऋण देने वाली वित्तीय संस्थान से खेत में सुधार कार्य हेतु ऋण या वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही है। गोमदराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी सोनियासर मिठिया व गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी सोनियासर मिठिया दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है, जो प्रार्थी के ही नाम है। प्रार्थी को दोनों ही नाम से जाना पहचाना जाता है। गोमदराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल व गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल नाम का व्यक्ति प्रार्थी के अलावा गांव सोनियासर मिठिया में नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से उक्त वर्णित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज के अनुसार गोविन्दराम की जगह गोमदराम करने को कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को न्यायालय से आदेश लाने को कहा। इसलिए प्रार्थना—पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने अन्य सरकारी दस्तावेज में अंकित नाम के अनुसार अपना नाम दुरूस्त करवाकर गोविन्दराम की जगह गोमदराम करवाना चाहता है। नाम दुरूस्त करने से अप्रार्थी के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रार्थना—पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना—पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 345/133 रोही सोनियासर मिठिया व खसरा नम्बर 525/351 रोही सोनियासर ऊँचाईड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम की जगह दुरूस्त कर गोमदराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। बहस सुनी गई। पैरोकार स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 345 / 133 रोही सोनियासर मिठिया व खसरा नम्बर 525 / 351 रोही सोनियासर ऊँचाईड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्दराम की जगह गोमदराम पुत्र गिरधारीराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश दिया जात है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested